श्री जगलाल चौधरी, सदस्य, विधान-सभा की व्यक्तिगत कैफियत के संबंध में अध्यक्ष का वक्तव्य।

OBSERVATION BY THE SPEAKER REGARDING PERSONAL EXPLANATION OF SHRI JAGLAL CHAUDHURI, M. L. A.

अध्यक्ष—श्री जगलाल चौधरी ने मेरे पास एक निवेदन किया है कि कल जो प्रश्न आया था उसके संबंध में आप कुछ व्यक्तिगत कैफियत देना चाहते हैं। मैंने इसके बारे में अभी कुछ विचार नहीं किया है इसलिये मैं आज इजाजत नहीं देना चाहता हूं। कल दूंगा या नहीं दूंगा, कल विचार किया जायगा। चूंकि मैंने इसे अभी पढ़ा नहीं है, कैफियत देने के लायक है या नहीं पीछे निर्णय करूंगा।

स्थगन प्रस्ताव : श्री कितो साव की भूख से मृत्यु।

Adjournment motion : regarding starvation death of Shri Kito Sao.

अध्यक्ष—इसके बाद एडजोर्नमेन्ट मोशन का फैसला करना है। इसके संबंध में सरकार को क्या कहना है? इसे मैंने अभी रख लिया है, पीछे इसे मानू या न मानूं

श्री वीरचन्द पटेल—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने सदन के सामने उस दिन कहा था, इसके लिये मैंने स्पेशल मैसेनजर भेजकर वहां से पूरा विवरण मंगाया है।

इस विवरण को पढ़ने के बाद तो यह प्रश्न ही नहीं उठता है। यह जो साहू जी, जिनका नाम कितो साव है, उनकी मृत्यु मर्ज के कारण हो गयी है, इसलिये इस विषय पर काम रोको प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इसलिये यह प्रस्ताव सदन के सामने नहीं आ सकता है। अगर सरकार पर यह डियूटी हो कि बिहार में कोई मौत हो ही नहीं, तो यह कैसे संभव है?

कुछ सदस्य—उनकी मृत्यु भूख से हुई थी।

श्री वीरचन्द पटेल—उनकी मृत्यु भूख के कारण नहीं हुई थी।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री फूड मंत्री के एलावा हेल्थ मंत्री भी हैं।

श्री वीरचन्द पटेल—अगर वहां पर किसी कारण ध्यान नहीं दिया गया होता तो यह काम रोको प्रस्ताव हो सकता था।

(बहुत से माननीय सदस्यों की आवाज)

माननीय सदस्य जहां-तहां से अवाज उठा रहे हैं। माननीय सदस्य के प्रस्ताव के उत्तर का विवरण हमारे पास है, इसको मैं देने से हिचकिचाता नहीं हूं। इसलिये

मैं कहता हूं कि माननीय सदस्य इस गंभीर विषय पर विचार करें जोकि मैं कह रहा हूं उसे सुनने का कष्ट करें, अगर सुनने से संतोष नहीं हो तो वे सरकार के खिलाफ कामरोको प्रस्ताव लावें या अविश्वास का प्रस्ताव लावें, इससे मुझे इन्कार नहीं है। लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वस्तुस्थिति जो है उसे सुनने का कष्ट करें। जो प्रश्न मृत्यु का उठा है, इस बात से सरकार की ओर से इन्कार नहीं किया जा सकता है। माननीय सदस्य ५ तारीख का जिक्र कर रहे हैं कि कचहरी कम्पाउन्ड में मखानी ग्राम, थाना गुड्डा के निवासी श्री कितू साव की मृत्यु दोपहर में दो बजे दिन में हो गयी थी। यह प्रस्ताव सदन के सामने किया गया है कि यह मृत्यु भुखमरी के कारण हुई है। श्री चुनका हेम्ब्रोम, जिन्होंने यह कामरोको प्रस्ताव सदन के सामने लाया है, वे श्री सीताराम, मुख्तार, के साथ २ बजे दिन में स्थानीय एस० डी० ओ० श्री कुमार के मकान पर पहुंचे, उस समय वह भोजन कर रहे थे।

कुछ सदस्यों—क्या वे उस समय सो नहीं रहे थे ?

श्री वीरचन्द पटेल—वह उस समय इसलिये नहीं सो रहे थे कि श्री चुनका हेम्ब्रोम से पहले ही बातचीत हो चुकी थी।

श्री दशरथ तिवारी—अध्यक्ष महोदय, इस समय कुछ माननीय सदस्य सदन में सो रहे हैं, इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

श्री वीरचन्द पटेल—मैं नहीं समझता कि बिहार विधान-सभा लोगों के सोने पर भी प्रतिबन्ध लगाने का विचार करती है।

अध्यक्ष—इस सभा में सोने पर प्रतिबन्ध है। जो सदस्य सोना चाहें उनके लिए दूसरी जगह बाहर सोने का स्थान है।

श्री वीरचन्द पटेल—श्री चुनका हेम्ब्रोम ने एस० डी० ओ० से जाकर कहा कि एक आदमी की कोर्ट के कम्पाउन्ड में मृत्यु हो गयी है और यह भी कहा कि भुखमरी से मृत्यु हो गयी है। उसके बाद एस० डी० ओ० साहब जिनका बंगला कचहरी से सौ गज की दूरी पर है, वहां आये और उन्होंने मृत व्यक्ति की लाश को पाया और जो ग्रामीण लोग वहां इकट्ठे थे, उनसे पता लगाया। उनको पता चला कि मृत व्यक्ति तिलू साव वल्द बेनी साहु, ग्राम मखनियां मारवाड़ी टोला का रहने वाला था। उसकी लाश पीपल के पेड़ के नीचे पायी गयी। उसकी अवस्था ४५ वर्ष की मालूम पड़ती थी। वहां पर एस० डी० ओ० ने पुलिस को कहा कि मृत व्यक्ति की लाश अपने चार्ज में रखो, उसकी मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से हुई है, इसकी छान-बीन की जायेगी। उसके बाद एक इन्क्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की गई और दूसरे दिन ६ बजे सुबह गोड्डा के सिविल असिस्टेन्ट सर्जन ने उस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ने से यह बात निर्विवाद रूप से साबित हो जाती है कि किसी भी तरह से तिलू साहु की मृत्यु भुखमरी के कारण नहीं हुई है।

एक सदस्य—तो कैसे हुई ?

श्री वीरचन्द पटेल—मैं सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सदन के सामने पढ़ देता हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की नकल हमने मंगवायी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तिलू साह का कंडीशन इस प्रकार है :

1. Kito Shah, son of Beni Shah of village Makhani, Godda.
2. Condition of subject—(Stout, emaciated, decomposed, etc.) Fair built, Riger Mortis present eyes and mouth closed.

Cramtum spinal canal 1. Scalp, skull, and veriobre	2. Membrance	Brain, and spinal cord.
N A D	N A D	N A D

Walls ribs, and cartilages.	2. Pleura	3. Laryux and inches.	4. Right lung.	5. Left Lung.
Normal.	No injury or disease.	No injury or disease.	No injury or disease.	No injury or disease.

IV. Abdomen.

Walls.	Peritonum.	Mouth, pleryux and esophagus.	Stomach and its contents.
No injury or disease.	No injury or disease.	No injury or disease.	Normal 4oh. partly digested food.

V. Muscles and Bones.

1. Injury.	2. Disease or deformity.
Nil.	Pericardial iffession and mitral endicardines.

"No injury was found on the body of the diseased. This presented a picture of old heart disease ending in heart failure with pericardial effusion and 3 .oz. of serous (reddish) fluid. Marked enlargement of heart with sufficiently thickened left verticle and nodular vegetation near nitral valve, enlarged and congested liver marked, congested spleen and kidney.

The stomach contained about 4ch. of partly digested food matter.

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—उसके पेट में कौन-कौन से अन्न थे, रोटी, चावल या चना?

अध्यक्ष—शांति, शांति। स्टेटमेन्ट के समय आप मिनिस्टर को क्रौसएग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं।

श्री वीरचन्द पटेल—इससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि भुखमरी से उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे पुराने हार्ट पेशेन्ट थे और उसीसे उनकी मृत्यु हुई। मृत व्यक्ति के पास दो बीघे जमीन थे। उसमें से १० कट्ठा वे रेहन रखे हुए थे, एक बीघा बटाई पर था और १० कट्ठा खद जोतते थे। एक डिप्टी मजिस्ट्रेट ने बहुत से ग्रामीणों के सामने मृत व्यक्ति के घर की जांच की। घर में निम्नलिखित सामान पाये गये:—

(१) ४७ रुपये कीमत का धान का पुआल।
(२) एक सेर मकई,
(३) तीन सेर चावल एक हांडी में।
(४) तीन सेर धान।
(५) दस सेर अलसी (तीसी),
(६) चार छटांक मसाला (हलदी, गोलकी मिरचाई वगैरह)।

मृत व्यक्ति बहुत दिनों से विधुर थे। उन्हें एक बेटा है जो कहीं दूसरी जगह काम करता है और अलावे उनकी तीन बेटियां है जिनकी शादी हो गई है। उनके घर में किरासन तेल और कड़ुआ तेल भी मिला था। इसके अतिरिक्त उनके पास खेती-गृहस्थी के औजार भी पाये गये जैसे खंती, टांगी, गड़ासा तथा रस्सी के बंडल वगैरह।

अध्यक्ष—क्या उनके पास बैल था या नहीं?

श्री वीरचन्द पटेल—जी नहीं, बैल नहीं था। मंगनी वगैरह से काम चलाते थे। इसके अलावे उनके घर से एक धोती, एक गेनरा और तीन साड़ी भी मिले।

एक सदस्य—नगद रुपये थे या नहीं?

श्री वीरचन्द पटेल—नगद रुपये नहीं थे लेकिन कुछ पैसे थे।

श्री नीतिश्वर प्रसाद सिंह—उनक घर में जो अनाज पाया गया है वह मनष्यों के खाने लायक था या नहीं?

श्री वीरचन्द पटेल—जी हां, वह अन्न मनुष्यों के खाने के लायक था। जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार उसके यहां से कुछ कपड़े जैसे एक धोती, एक गेनरा तथा तीन साड़ियां पाई गई थी। उनकी एक लड़की अपने पिता की मत्यु का समाचार पाकर देखने चली आई थी इसलिये साड़ी भी मिली।

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—वह लड़की कुछ अनाज लाई थी या नहीं?

श्री वीरचन्द पटेल—वह अनाज नहीं लाई थी। इसके बाद उसके घर से २६ मकई के बाल भी निकले थे। देहातों में ऐसा चलन है कि लोग मकई का बाल रखते हैं। इसके अतिरिक्त दो दिन पहले उन्होंने वहां के ग्राम पंचायत से दो सेर गेहूं खरीदा था।

श्री राम जनम ओझा—इसका क्या सबूत है कि वह अनाज नहीं लाई थी?

श्री वीरचन्द पटेल—आखिर यह विधान-सभा है। हमलोग जो फैक्ट हैं उसको आपके सामने रख देते हैं उसको आप मानें या न मानें। सरकार ने बड़ी ही छानबीन के बाद ये सारी बातें मंगायी है। अतः आपलोग कम-से-कम इसे सुनने का कष्ट कीजिए। यह बहुत ही अहम् विषय है जिसपर हमलोग अभी विचार कर रहे हैं। चूंकि उनकी माली हालत उतनी खराब नहीं थी इसलिये उनको कोई ग्रेटूटस रिलीफ नहीं दिया गया। उनको मकान है, खेत है और इसी कारण फेमीन कोड के मुताबिक सरकार का जो स्टैन्डर्ड है ग्रेटूटस रिलीफ देने का उसमें वे नहीं आते थे। उनके मकान से आधे मील के भीतर दो हार्ड मैनुअल स्कीम और डेढ़ मील के अन्दर एक तीसरा स्कीम चालू है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि उस इलाके में हार्ड मैनुअल स्कीम नहीं था। इसके अतिरिक्त गोड्डा के एस० डी० ओ० के पास कृषि ऋण के लिये ४,३७० रुपये थे।

हार्ड मैनुअल लेबर स्कीम के लिए ५० हजार रुपए थे और मुफ्त ग्रैटूटस रिलीफ बांटने के लिए गोड्डा में १,३०७ मन ३६ सेर ८ छटांक गेहूं था और देवघर में भी १०,६१२ मन ग्रैटुटस रिलीफ की शक्ल में मुफ्त वितरण के लिए गेहूं मौजूद था ४ और ५ तारीख को।

आज ये सारी बातें हाउस के सामने रखते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि अगर पोस्टमार्टम एक्जामिनेशन की रिपोर्ट गलत है, ग्राम-पंचायत मुखिया की रिपोर्ट गलत है, वहां के एस० डी० ओ० की रिपोर्ट गलत है, यहां जो हिसाब किताब गवर्नमेन्ट रखती है वह गलत है, हार्ड मैनुअल लेबर स्कीम की बात गलत है, अगर ये सारी की सारी बातें गलत हैं तब तो मुझको कोई जवाब नहीं देना है क्योंकि इस चीज का जवाब हो भी नहीं सकता है। आखिर डिमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट चलती है, इसमें सरकार की सभी चीजें खुली हुई हैं। न्यायालय में आज या कभी भी आदमी की रिहाई या फांसी तक की सजा इसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर होती है और कोई वजह नहीं है कि असिस्टेन्ट सर्जन वस्तुस्थिति को छिपायें। अगर ऐसी बात नहीं है.....।

श्री रामानन्द सिंह—क्रॉस एक्जामिनेशन के बाद होता है।

श्री वीरचन्द पटेल—हां, ठीक है लेकिन इसी रिपोर्ट पर ऐसी सजा होती है या रिहाई होती है।

अध्यक्ष—आपको अपना वक्तव्य देना है, संवाल-जवाब तो करना नहीं है।

श्री वीरचन्द पटेल—जी हां। तो अध्यक्ष महोदय, सारी बातों के सुनने के बाद, सरकार के फेलियोर का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए इसकी पहले तो बुनियाद ही गलत है। किसी भी तरह से, मेडिकल एव्डीडेंस से या घर पर जो उस आदमी के सामान मिला उससे या हार्ड मैनुअल लेबर की स्कीम से, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाय यह निर्विवाद है कि इस व्यक्ति की मृत्यु स्टारव्हेशन से नहीं हुई। जब स्टारव्हेशन से मृत्यु नहीं हुई तो इसके लिए सरकार के या उसके अफसरों के कर्त्तव्यपरायण का सवाल नहीं उठता है। सिर्फ कोर्ट कपान्ड में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय इसलिए ऐडजोर्नमेन्ट मोशन का सवाल नहीं उठता है। इसलिए सरकार की तरफ से मेरा अनुरोध है कि ऐडजर्नमेन्ट मोशन को आउट आफ आर्डर घोषित कर दिया जाये।

श्री चुनका हेम्ब्रम—माननीय मंत्री ने जो वक्तव्य दिया उसको मैं बड़ी गम्भीरता-पूर्वक सुनता रहा। उन्होंने जो बताया कि ५ तारीख को हम वहां थे और दो बजे के करीब एस० डी० ओ० के पास सीताराम मोख्तार के साथ गए यह बिल्कुल गलत है। सीताराम मुख्तार नहीं बल्कि विजय कृष्ण झा जो सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ मैं एस० डी० ओ० के यहां गया। उस वक्त तक, दो बजे तक, एस० डी० ओ० कोर्ट नहीं आए थे। हम वहां गए और हमको खबर मिली कि आदमी मर गया है और उस आदमी को वहां मरा पड़ा हुआ देखा। माननीय मंत्री ने कहा कि दो आना पैसा भी हम नहीं दे सके उनको इस तरह का जवाब देने में शर्म आनी चाहिए।

अध्यक्ष—शांति, शांति। यह विवाद नहीं है। आपको फैक्ट्स कहने के लिए कहा गया।

Shri RAMCHARITRA SINGH : He is not commenting on what he said, Sir. He is only saying what the Subdivisional Officer did. He is giving the facts.

श्री चुनका हेम्ब्रोम—हुजूर, उस दिन मामला यह रहा कि दो बजे तक एस० डी० ओ० कोर्ट नहीं पहुंचे थे। हम वहां पर थे, जब हमको यह खबर मिली हम दौड़ कर गए। उस वक्त तक वह आदमी इंतकाल कर चूका था। हम तब दौड़ कर एस० डी० ओ० के पास गए और हमारे साथ विजय कृष्ण झा, सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता भी गए और एस० डी० ओ० से हमने कहा कि एक आदमी भूख से मर गया है, चलकर उसको देखिए। वहां हजारों आदमी इकट्ठा थे। रिलीफ लेने के ख्याल से तीन-चार दिन से रोज वहां आते थे। उस वक्त करीब ५० आदमी वहां थे। तुरत एस० डी० ओ० ने खबर दिया पुलिस थाना इन्चार्ज को कि यह आदमी आप के जिम्मे में रहा। गांव वालों ने बतलाया कि वह आदमी तीन दिन से परीशान था, खाने के लिए गोहुआ रोज आता था। उस आदमी के कम्बल में एक पर्चा मिला जिसमें लिखा हुआ था कि चार बीघा जमीन उनके पास है जिसमें दो भाई हिस्सेदार हैं।

अध्यक्ष—तब तो मालूम होता है वह लोन के लिए आया था।

श्री चुन्का हेम्ब्रोम—आया तो था रिलीफ के लिए। लेकिन एस० डी० ओ० ने कहा कि रिलीफ बांटने के लिए उसके गांव पर ही चीज को भेज दिया गया है। उसको रिलीफ नहीं मिला। तब एस० डी० ओ० ने कहा कि लोन के लिए दरखास्त दो। मंगल को उसने दरखास्त दी लेकिन उस दिन लोन नहीं मिला और उसको कहा गया कि शुक्रवार को आवो। वह शुक्रवार को आया, लेकिन उस दिन सर्किल अफसर दो बजे तक नहीं आए हालांकि वह एक बजे आ जाया करते थे। दो बजे तक उसकी मृत्यु हो गई। उसकी कमर से एक पैसा निकला। यह बात थाना इंचार्ज की रिपोर्ट में में दर्ज है। उस गांव वालों ने कहा कि वह भूख से मर गया।

अध्यक्ष—गांव वाले वहां थे?

श्री चुनका हेम्ब्रोम—जी हां, वे लोग भी लोन और रिलीफ के ख्याल से आये थे।

अध्यक्ष—और वह भूख से मर गया, किसी ने कुछ नहीं दिया।

श्री चुनका हेम्ब्रोम—हम अपने यहां का कुछ फीगर देते हैं। यह उन्हीं का दिया हुआ है। गोड्डा थाने से ८० प्रतिशत पेटीशन लोन के लिए है।

हार्ड मैनुअल लेबर के लिए गोड्डा में ८२,९६४ रु० ९४ नया पैसा मिला। ५ मार्च १९५८ तक १,०३,७०६ लोगों को एम्प्लाएमेन्ट मिला जो कि हिसाब करने पर एक-एक आदमी पर १ रु० २ आना पड़ता है। एग्रिकल्चरल लोन के संबंध में मुझे यह कहना है कि गोड्डा के एस० डी० ओ० श्री एस० एन० कुमार हैं। उस इलाके के महगावा परैया, पथरगावां और गोड्डा थाने के ८० प्रतिशत लोगों को धान नहीं हुआ है। फिर भी, पालिटिकल गुटबन्दी के कारण लोगों को रिलीफ नहीं दिया जा सका। सरकार के पास गलत रिपोर्ट भेजा जाता है। मेरा कहना है कि सिर्फ २ मन धान उसके खेत में पैदा हुआ था जिसमें से १।। मन महाजन ने ले लिया था। ४ पसेरी धान जो उसके पास बचा उससे उसका निर्वाह कैसे होता? उसके १० वर्ष के लड़के को हमने एक दूसरे घर में परवरिश के लिए कुछ काम पर रखवा दिया है। जो उसके घर में ३ सेर चावल और एक सेर मकई निकला था वह उसकी बेटी का था और तीन अदद साड़ी भी उसी की थी वह उसकी बेटी लायी थी। अगर सरकार ऐसे केसेज में भी स्टार्वेशन डेथ को नहीं मानती है और कहती है कि उसकी मृत्यु हार्ट फेलियोर से हुई तो मैं यह समझता हूं कि यह एक गंभीर बात है और मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे भी इस बात पर विचार करें। मैं कह सकता हूं कि वह आदमी भूख से मरा और एस० डी० ओ० के रुपया न देने के कारण उसकी जान गयी। वहां के एक कांग्रेस के कार्यकर्त्ता श्री सीता राम जी भी इस बात की पुष्टी करेंगे। मैं मुख्य मंत्री और डिप्टी कमिश्नर, संथाल परगना, को तार से इसकी खबर दी थी।

अध्यक्ष—मैं अगर इसको एडजोर्नमेन्ट मोशन मानता तो भी आपको सिर्फ १५ मिनट बोलने का समय मिलता इसलिए अब आप विस्तार में न जा कर संक्षेप में ही खतम करें।

श्री चुनका हेम्ब्रम—अध्यक्ष महोदय, ज्योंहि उसकी मृत्यु की खबर कचहरी के अन्दर फैली कि वहां सर्किल आफिसर ने भी रुपया बांटना शुरू किया। अगर वे २ घंटा

पहले से रुपया देते होते तो उस आदमी को रुपया जरूर मिल गया होता। मरने के बाद उसके पास सिर्फ १ पैसा निकला था जिसका मूल्य हम सभी जानते हैं कि आज कल पान भी खाने के लिए एक पैसे में नहीं मिलता है।

अध्यक्ष—क्या आप वहां उसकी मृत्यु के बाद पहुंचे थे।

श्री चुनका हेम्ब्रम—उसके गांव वालों से ही उसकी मृत्यु का हमको पता चला था तब मैं वहां गया। मैं माननीय सदस्यों से तथा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत भयानक बात है कि इस तरह से लोग मौत के शिकार बना दिये जाते हैं। हर आदमी की जान बराबर है और सरकार को चाहिये और उसका कर्त्तव्य भी है कि किसी को भूख से नहीं मरने दें।

अध्यक्ष—मैंने इस एडजोर्नमेन्ट मोशन के संबंध में बोलने का मौका श्री चुनका हेम्ब्रम को दिया है और सरकार की ओर से जो वक्तव्य दिया गया है उसके बाद भी श्री चुनका हेम्ब्रम ने अपनी बातें सभा के सामने रखी हैं। इन सब बातों के हो जाने के बाद मेरी राय यह है कि हमें इस एडजोर्नमेन्ट मोशन को नामंजूर कर देना है।

श्री चुनका हेम्ब्रम—मैं सरकार से निवेदन करूंगा ....

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति अब आपको बोलने का अधिकार नहीं है। मैं इस एडजोर्नमेन्ट मोशन को नामंजूर कर चुका हूं।

सन् १९५८-५९ के आय-व्ययक पर साधारण वाद-विवाद।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR 1958-59.

श्री कार्यानन्द शर्म्मा—अध्यक्ष महोदय, आपके सामने जो बातें हो रहीं थी वह भ रिलीफ से संबंधित थीं। इस हाउस ने देखा और माननीय सदस्य के बयान को सुना जिससे यह उन्हें पता चल गया है कि किस परिस्थिति से लोग गुजर रहे हैं। १ सेर मकई और ३ सेर चावल सबूत समझा गया है और सरकार की तरफ से कहा जाता है कि उसकी मृत्यु भूख से नहीं हुई, स्टार्वेशन डेथ नहीं हुआ। इस सिलसिले में मैं भी दो-एक बातें कहना चाहता हूं रिलीफ का काम किस तरह होता है, इसके मुतल्लिक मेरा चार्ज यह है कि दूकानों में जो गेहूं हैं, जिसके लिए मैं खाद्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं, उसको लोग खरीद नहीं सकते हैं। इसमें सरकार को चाहिये था कि लोगों के पास पैसे पहुंचाने की व्यवस्था ठीक से हो। रिलीफ देन की मन्शा तभी सफल हो सकती है, अगर हम सिलसिलेवार तरीके से लोगों के घर तक पहुंच पायें और उनकी मदद सही ढंग से करें। आज लोगों की क्रय-शक्ति एकदम खतम हो चुकी है।

लेकिन उसके साथ-साथ सवाल यह है कि अभी तक सरकार ने ऐसा कोई इन्तजाम नहीं किया, कोई ऐसी मशीन खड़ी नहीं की, जो इसकी देखरेख करे। सरकार इस हाउस में बराबर कहती रही है कि हम युद्ध-स्तर पर यह काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि किस जिले में यह लागू की गयी इसकी जांच की